(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 595-तीन/2011 - विरूद्ध आदेश दिनांक 07-04-2011 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 267/2010-11 अपील

1- दुष्यंत सिंह पुत्र स्वर्गीय देवेन्द्र प्रताप सिंह
2- श्रीमती पदमा सिंह पत्नि स्व0देवेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्त्यारआम दुष्यंत सिंह पुत्र स्वर्गीय देवेन्द्र प्रताप सिंह
निवासीगण 260 प्रताप कुटीर प्रेमनगर सतना
तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

नारेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. राणा प्रताप सिंह
निवासी सी.के. 63/208 छोटी पिपरी अनुसूईया
स्कूल के सामने बाराणसी उत्तर प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित- एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 267/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-11 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 67/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-10-2010 के

विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 267/2010-11 प्रस्तुत की। अपील प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 13 नियम 10 सहपठित म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया तथा अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 95 अ-6-अ/02-03 , प्रकरण क्रमांक 7 अ-27/04-05 एंव प्रकरण क्रमांक 57 अ 12/08-09 मॅंगाये जाने की मांग रखी। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने इस आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 7-4-11 पारित किया तथा आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-10-2010 के विरूद्व द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का सम्बद्व प्रकरण क्रमांक 67/2009-10 अपील एंव तहसीलदार वृत्त सतना प्रथम तहसील रघुराजनगर का सम्बद्व प्रकरण क्रमांक 786 अ-74/2008-09 प्राप्त हो चुका है जो अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 267/2010-11 अपील में अपेक्षित हैं ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 267/2010-11 अपील से असम्बद्व अन्य प्रकरण को मॅंगवाये जाने संबंधी

आवेदकगण की मांग को उचित नहीं माना जा सकता, यदि आवेदकगण अन्य न्यायालयों के प्रकरण क्रमांक 95 अ-6-अ/02-03, प्रकरण क्रमांक 7 अ-27/04-05 एंव प्रकरण क्रमांक 57 अ 12/08-09 के दस्तावेज स्वयं् के पक्ष में होना मानते हैं वह ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत करने एंव अपना दावा प्रमाणित करने हेतु स्वतंत्र हैं, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 267/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-11 में लिये गये निर्णय को अनुचित नहीं माना जा सकता और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 7-4-11 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 267/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर